

## मैनेजर (वन धन विकास केन्द्र) के चयन हेतु विज्ञापन एवं विस्तृत दिशा-निर्देश

-00-

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, अटल नगर, नवा रायपुर अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु, इंटर्नशिप प्रोग्राम वर्ष 2022-2023 (माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2022 से जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2023 तक) में इंटर्नशिप पूर्ण हो रहे अभ्यर्थियों का चयन मैनेजर (वन धन विकास केन्द्र) के रूप में चयन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु उपरोक्त अवधि में संतोषजनक रूप में इंटर्नशिप पूर्ण कर रहे योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 01.09.2023 से 15.09.2023 तक ई-मेल [mfpfed.cg@nic.in](mailto:mfpfed.cg@nic.in) के माध्यम से आमंत्रित किया जा रहा है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिनांक 26.09.2023 एवं 27.09.2023 समय - प्रातः 11:00 बजे से साक्षात्कार आयोजन कर मैनेजर (वन धन विकास केन्द्र) का चयन किया जावेगा। विवरण निम्नानुसार है :-

### 1. मैनेजर (वन धन विकास केन्द्र) पद हेतु शैक्षणिक योग्यता विवरण :-

| क्र. | पद का नाम / शैक्षणिक योग्यता  | मासिक मानदेय   |
|------|---|--|
| 1    | 2   | 3  |
| 1.   | <p><b>मैनेजर (वन धन विकास केन्द्र)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>बी.एस.सी. (कृषि/उद्यानिकी/फॉरेस्ट्री/बायोलॉजी) एवं बी.ई./बी.टेक. (फूड टेक्नोलॉजी/मैकेनिकल/कृषि इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर साइंस), एम.एस.सी. (बायोटेक/बी.टेक बायोटेक), बी.ए.एम.एस. स्नातक न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण। मैनेजर (वनधन विकास केन्द्र) मार्केटिंग हेतु एम.बी.ए.।</li> <li>आवश्यक अनुभव - छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्या. अंतर्गत 01 वर्षीय इंटर्नशिप कार्यक्रम (माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2022 से जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2023 तक) अंतर्गत इंटर्नशिप पूर्ण हो रहे।</li> </ul> | <p>मानदेय राशि<br/>रु. 15,000/-<br/>+ 5000/-<br/>(अनुसंधान भत्ता) + प्रदर्शन के आधार पर इंसेंटिव</p> |

एकमुश्त मासिक मानदेय राशि रु. 15,000/- के अतिरिक्त प्रदर्शन आधार पर इंसेंटिव भी देय होगा। इंसेंटिव का निर्धारण कार्य की समीक्षा करते हुए प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जावेगा। केवल प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अनुमोदित इंसेंटिव ही प्रदान किया जायेगा। अनुसंधान भत्ता किये गये कार्यों के प्रगति आंकलन के आधार पर देय होगा। इस संबंध में चयनित अभ्यर्थियों के किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

### 2. कार्य दायित्व :-

- 2.1 मैनेजर (वन धन विकास केन्द्र) द्वारा न्यूनतम 03 वन धन विकास केन्द्र को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने का दायित्व होगा अर्थात प्रत्येक वन धन विकास केन्द्र में वार्षिक टर्नओवर 25 लाख से अधिक प्राप्त करने हेतु कार्य योजना तैयार कर तदनुसार प्रगति प्राप्त करना है।

## 5. आयु सीमा :-

निर्धारित आवश्यक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी रिक्तियों हेतु आवेदन करें, परन्तु अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा प्रत्येक वर्ग हेतु दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में 35 वर्ष से अधिक न हो ।

## 6. निवासी :-

छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा । इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।

## 7. चयन प्रक्रिया :-

- 7.1 इच्छुक अभ्यर्थी संलग्न निर्धारित प्रपत्र-01 में आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के ई-मेल- [mfpfed.cg@nic.in](mailto:mfpfed.cg@nic.in) में दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 15.09.2023 तक प्रेषित करें । निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति भी संलग्न किया जावे ।
- 7.2 प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा । अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार में भाग लेने का यह तात्पर्य नहीं होगा कि उनका चयन हो गया है ।
- 7.3 अभ्यर्थियों द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा कर कार्य कुशलता प्रतिवेदन, आचरण एवं व्यवहार एवं अनुशासन पालन संबंधी प्रतिवेदन उनके पूर्व पद स्थापना स्थल के सक्षम अधिकारी/प्रबंध संचालक, जिला यूनियन से संघ कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जावेगा । तदानुसार साक्षात्कार हेतु सूची तैयार की जावेगी ।
- 7.4 अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी ।
- 7.5 प्राप्त आवेदन तथा अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किये कार्यों के ऑकलन एवं उनके द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के आधार पर व साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा । चयन समिति के निर्णय अनुसार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ/जिला यूनियन द्वारा अभ्यर्थियों को चयन आदेश जारी किया जावेगा । चयन सूची जारी होने के उपरांत किसी भी अभ्यर्थी के दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा । प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा चयन समिति के अनुशंसा आधार घोषित निर्णय अंतिम होगा ।
- 7.6 अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में किये गये कार्यों के आधार पर चयन समिति द्वारा चयन सूची जारी की जावेगी ।
- 7.7 चयन प्रक्रिया के तहत अंको का विभाजन :- चयन प्रक्रिया हेतु वरीयता सूची निम्नानुसार तैयार की जावेगी :-

| क्र. | विवरण   | अंक विभाजन |
|------|---|------------|
| 1.   | लघु वनोपज संग्रहण/प्रसंस्करण/मार्केटिंग/आयुर्वेद/लाख/लैब संबंधी अभ्यर्थी द्वारा किये सफल प्रयास, इंटरनशिप अवधि में किये कार्य पर प्रस्तुततिकरण (PPT Presentation) | 15 अंक     |
| 2.   | स्वयं के द्वारा चयनित एक वन धन विकास केन्द्र सुदृढ़ीकरण पर प्रस्तुततिकरण (PPT Presentation) (रु. 25 लाख वार्षिक टर्नओवर प्राप्त करने हेतु कार्य योजना बनाना)      | 15 अंक     |
| 3.   | Interview Oral  | 20 अंक     |
| योग  |   | 50 अंक     |

- 9.6 इंटर्नशिप अवधि वर्ष 2022-2023 (माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2022 से जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2023 तक) के अंतर्गत असंतोषप्रद कार्य के आधार पर इंटर्नशिप प्रोग्राम से पृथक किये गये अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा ।
- 9.7 ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में अनुशासनहीनता / अनुचित व्यवहार या अनियमितता के आधार पर दण्डित किया गया हो वह चयन हेतु अपात्र होगा ।
- 9.8 विज्ञापन में तथ्यात्मक / लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत सूचना वेबसाइट- [www.cgmpfed.org](http://www.cgmpfed.org) में प्रकाशित होगी । ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी । इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा ।
- 9.9 चयन के संबंध में नियुक्तकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
- 9.10 मैनेजर (वन धन विकास केन्द्र) की नियुक्ति अधिकतम 01 वर्ष हेतु की जावेगी । मैनेजर (वन धन विकास केन्द्र) की नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई रहेगी । कार्य कुशलता के आधार पर 01 वर्ष हेतु कार्य अवधि बढ़ायी जा सकती है । यह निर्णय प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लिया जावेगा ।
- 9.11 चयनित अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी जिला यूनियन / संघ मुख्यालय में पदस्थ किया जा सकता है । पदस्थिति स्थल पर उपस्थिति न देने की दशा में चयन आदेश निरस्त माना जावेगा ।
- 9.12 चयनित अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ के वनवासियों के आजीविका के लिये कार्य करना है । इस हेतु आवेदक को जिला यूनियन व दूरस्थ क्षेत्र तथा सम्पूर्ण राज्य में किसी भी स्थान पर चयनकर्ता अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्र भ्रमण किया जाना होगा । क्षेत्र भ्रमण दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में भी किया जाना होगा । आवश्यकतानुसार राज्य के बाहर भी प्रवास पर जाना होगा । तदानुसार इच्छुक अभ्यर्थी ही आवेदन प्रस्तुत करें ।
- 9.13 मैनेजर (वन धन विकास केन्द्र) में चयनित अभ्यर्थियों के सेवा के दौरान दुर्व्यवहार किये जाने की स्थिति में उभय पक्षों द्वारा तत्काल नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है ।
- 9.14 किसी भी आवेदक द्वारा यदि गलत जानकारी प्रस्तुत की गयी है, तो चयन प्रक्रिया के समय अथवा चयन के पश्चात् किसी भी समय उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है ।
- 9.15 इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी का चयन उपरांत छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित में किसी भी प्रकार की नौकरी या नियुक्ति का आश्वासन नहीं करता है ।
- 9.16 चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि दूरस्थ क्षेत्रों में प्रवास के लिए असहमति दी जाती है तो तत्काल प्रभाव से उनकी नियुक्ति आदेश समाप्ति की जावेगी ।

अपर प्रबंध संचालक (विकास)

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर

11. इंटर्नशिप किये जिला वनोपज -----  
सहकारी यूनियन का नाम
12. इंटर्न वर्ग (चिन्हांकित करें) संग्रहण/प्रसंस्करण/लाख/मार्केटिंग/लैब एनालिस्ट/आयुर्वेद
13. स्व-प्रमाणित दस्तावेजों की सूची -----
14. इंटर्नशिप अवधि में आपके -----संलग्न करें-----  
द्वारा संपादित किये गये कार्य  
का संक्षिप्त विवरण

मैं प्रमाणित करता / करती हूं कि मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित 01 वार्षिक इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत इंटर्न (.....) के रूप में दिनांक .....से दिनांक ..... तक पूर्ण किया गया है। मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा मेरे द्वारा चयन संबंधी संपूर्ण नियम एवं शर्तों का अवलोकन ध्यानपूर्वक किया गया है।

स्थान :

दिनांक :

(अभ्यर्थी का पूर्ण नाम एवं हस्ताक्षर)